

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक एफ19 (10)/आरबी/ई-टेण्डरिंग/स्टेशनरी/2017-18/563 दिनांक :- 20-02-18

ई-बोली आमंत्रण सूचना सं. -02/2017-18

राजभवन, जयपुर में कम्प्यूटर्स एवं प्रिन्टर्स की आपूर्ति हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 21.02.2018 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ की जाकर वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड करके दिनांक 08.03.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> में प्रस्तुत की जा सकती है। डाउनलोड करके ऑन लाईन प्रस्तुत की गई बोली की निर्धारित बोली शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 08.03.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रोसेसिंग फीस, बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के पृथक-पृथक बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। ई-बोली की प्राप्त बिड्स दिनांक 08.03.2018 को सायं 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष राजभवन कार्यालय में खोली जावेगी।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	मात्रा	अनुमानित राशि रुपये	बोली प्रतिभूति राशि रुपये	बोली दस्तावेज राशि रुपये	प्रोसेसिंग फीस रुपये
1	कम्प्यूटर्स	16	8,00,000	21,600	500	500
2	प्रिन्टर्स / प्रिन्टर कम स्कैनर	04	2,80,000			

प्राप्त बिड्स का विभागीय उपापन समिति द्वारा तकनीकी परीक्षण उपरान्त तकनीकी आधार पर योग्य पाई जाने वाली बिड्स की फायनेंशियल बिड खोलने हेतु तारीख व समय पृथक से अवगत कराया जावेगा।

विस्तृत ई-बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें, Specification एवं अन्य विवरण वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> अथवा <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देख सकते हैं।

(हरीश कुमार लालानी)
वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल सचिवालय

क्रमांक एफ19 ()/आरबी/ई-टेण्डरिंग/स्टेशनरी/2017-18/ दिनांक :-

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को खुली निविदा सूचना विज्ञापन के एक क्षेत्रीय व एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में शीघ्र प्रकाशित करवाये जाने हेतु।
2. उप सचिव (प्रथम) एवं नोडल ऑफिसर, राजभवन, जयपुर।
3. कन्ट्रोलर, हाऊस होल्ड, राजभवन, जयपुर।
4. श्री विजय सिंह, प्रोग्रामर राजभवन, जयपुर को ई निविदा सूचना निविदा दस्तावेजों (संलग्न अनुसार) को www.rajbhawan.rajasthan.gov.in तथा <http://sppp.rajasthan.gov.in> (पोर्टल) व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर शीघ्र अपलोड करवाये जाने हेतु।
5. लाईब्रेरियन, राजभवन, जयपुर को ई निविदा सूचना विज्ञापन के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग कर लेखा शाखा में भिजवाये जाने की व्यवस्था करावे।
6. नोटिस बोर्ड, राजभवन, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल सचिवालय

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक एफ19 (10)/आरबी/ई-टेण्डरिंग/स्टेशनरी/2017-18/1563 दिनांक :- 20-02-18

विस्तृत ई-बोली आमंत्रण सूचना सं. -02/2017-18

(Detailed e-bid Invitation Notice)

राजभवन जयपुर के कम्प्यूटर्स एवं प्रिन्टर्स की आपूर्ति हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 21.02.2018 को प्रातः 11.00 बजे से वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड करके दिनांक 08.03.2018 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> में प्रस्तुत की जा सकती है। डाउनलोड करके ऑन लाईन प्रस्तुत की गई बोली की निर्धारित बोली शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा ई-बोली की क्वालीफाईंग बिड दिनांक 08.03.2018 को सायं 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मक्ष राजभवन कार्यालय में खोली जावेगी एवं दिनांक 08.03.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रोसेसिंग फीस, बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के पृथक-पृथक बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। इनके अभाव में सम्बन्धित फर्म की क्वालीफाईंग बिड नहीं खोली जावेगी।

बोली की मुख्य शर्तें एवं विवरण ई-बोली की वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> अथवा <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देख सकते हैं।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	मात्रा	अनुमानित राशि रुपये	बोली प्रतिभूति राशि रुपये	बोली दस्तावेज राशि रुपये	प्रोसेसिंग फीस रुपये
1	कम्प्यूटर्स	16	8,00,000	21,600	500	500
2	प्रिन्टर्स / प्रिन्टर कम स्कैनर	04	2,80,000			

बोली की मुख्य शर्तें

(Main Conditions of Bid)

1. निर्धारित बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि Financial Advisor, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर के नाम जारी बैंकर पृथक-पृथक चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी।
2. बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की प्रोसेसिंग फीस राशि रुपये 500/- Managing Director R.I.S.L., Jaipur के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अलग से दी जायेगी।

Computer Tender
जायपुर

निविदा रखने वाला
राजिद संचालिका

कन्ट्रोलर
राज्यपाल सचिवालय
जायपुर

आर. सिंह
महानिदेशक
राज्यपाल सचिवालय
जायपुर

3. निर्धारित बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग-अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 08.03.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक राजभवन कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। निर्धारित बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग फीस के अभाव में क्वालीफाईंग बिड नहीं खोली जावेगी। बोली शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।
4. प्राप्त बिड्स का विभागीय उपापन समिति द्वारा तकनीकी परीक्षण उपरान्त तकनीकी आधार पर योग्य पाई जाने वाली बिड्स की फायनेशियल बिड खोलने हेतु तारीख व समय पृथक से अवगत कराया जावेगा।
5. जो बोलीदाता ई-बोली (e-Bid) में भाग लेना चाहते हैं सर्वप्रथम उन्हें वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑनलाइन बोली में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T. Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II & Type III) लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
6. जो बोलीदाता ई-बोली में भाग लेना चाहते हैं वे वांछित दस्तावेजों के साथ वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 66 एवं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेंस टू एम.एस.एम.ई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान की जावेगी।
8. आयकर के पेन नं. (Permanent Account Number) व जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
9. समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।

(Signature)
Signature

Computer tender

निष्पत्ती प्राप्त गुणा
परिचय लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

रुजसिनि
सहायक निमित्त
हस्ताक्षर, राजस्थान

10. कय किये जा रहे कम्प्यूटर्स एवं प्रिन्टर्स संलग्न के Specifications निम्नानुसार होंगे :-

(a) Desktop Computer -16

Processor:	Intel Core i5 (7th generation)
Chipset:	Intel Q150 or higher
Motherboard	OEM motherboard
Memory:	8 GB DDR4 RAM expandable to 32 GB
Storage:	1 TB 7200 Serial SATA HDD
Monitor:	19.5 inch or higher TFT LED Digital Color Monitor
Optical Drive	DVD writer
Bays:	Min 3 nos.
Keyboard-Mouse:	OEM USB Keyboard & 2-Button Optical Scroll Mouse with mouse pad.
Cabinet :	Micro ATX/ Minitower
I/O Port :	1 serial port, 1 RJ 45 port for Gigabit Ethernet, min 2 USB ports in the front, min 4 USB ports at the back (USB 2.0 + USB 3.0), Headphone (front), Microphone (front), Line in, Line out, VGA Port, 1 HDMI
Network and Connectivity Features :	10/100/1000 on board integrated network port
Slots :	Minimum 1x16 PCI Express, 1x1 PCI Express.
Graphic :	Integrated HD Graphic
Operating System	Pre-installed Genuine MS-Windows 10 Professional Edition with OEM recovery partition
Internet Security	Macfee/Norton/Kaspersky/quick heal/Trend Micro/Sophos Internet Security (Latest version)
Certification:	EPEAT certified for India, Energy Star 5.0 Certified, Windows Certified, RoHS-compliant.

(b) Multi-Function Laser Printer: 3

Particulars	Technical Feature
Functions	Printer, Scan, Copy
Print Speed	25 PPM or higher
Tonner Technology	Composite
Duplex	Automatic Duplex
Print Resolution	600 x 600 dpi or higher
Monthly duty Cycle	12000 page or higher
Scan Speed	Minimum 8 PPM
Yield of Cartridge	Min. 1200
Scanning Type	Flatbed & ADF
Scanning Resolution	600 x 600 dpi (Colour) or better
Copy Speed	20 ppm or higher
Input paper	250 sheets or more, universal Tray
Output Paper	100 sheets or more
Memory	128 MB or more
Processor	600 MHz or more
Network Ready/ connectivity	1 USB, 1 Ethernet, 1 Wireless
Accessories	All necessary connecting chords and cables

Computer tender

विजय सिंह
प्रोग्रामर

विजय सिंह गुप्ता
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन

सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन
सॉल्यूशंस

सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन
सॉल्यूशंस

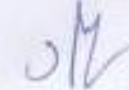
(c) Laser Multi- Functional Color Printer-1

Type	Color/ Mono,
Print speed	Black minimum 20 PPM (A4),
Print Resolution	Up to 600 x 600 dpi,
Duty Cycle (Max. No. of pages Per month of imaged output)	Up to 8000 pages
Duplex print option (A4)	Yes
Features:	Print, Copy, Scan and Fax
Network	Yes (min 10/100 mbps),
Energy Star	Yes
memory	Min. 128 MB,
Processor Speed	600 MHz or higher
Compatible operating systems:	All Windows Operating System(s)
Accessories	USB & power cable

11. बोलीदाता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों यथा 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 का औसत व्यापार एक करोड़ रुपये या इससे अधिक होना चाहिये। इसके प्रमाण स्वरूप पिछले तीन वित्तीय वर्षों के चाटेर्ड एकाउण्टेण्ट से अंकक्षित वित्तीय लेखों की प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
12. यदि कोई बोलीदाता सामग्री की आपूर्ति करने में असफल रहा है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
13. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
14. विस्तृत शर्तों के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट -अ,ब,स तथा द एवं अनुलग्नक-अ,ब,स का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ,ब,स एवं द तथा अनुलग्नक - अ,ब,स में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तों की स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट द एवं अनुलग्नक ब डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ स्कैन करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो यह बोली निरस्त कर दी जायेगी और ई-बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।
15. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण

Computer tender


विजय सिंह
प्रोग्रामर


निशु लाल गुप्ता
प्रमुख लेखाधिकारी


अनुराग
सहायक लेखाधिकारी


अनुराग
सहायक लेखाधिकारी

प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

16. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेंगे।
17. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।
18. सफल निविदादाता की दरें अनुमोदित होने के बाद निर्धारित प्रारूप में रुपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
19. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है तथा किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है।
20. उक्त ठेके के अनुबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका अंतिम निर्णय सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर का मान्य होगा।
21. सफल बोली दाता को आपूर्ति आदेश की दिनांक से 07 दिवस में माल की आपूर्ति करनी होगी।
22. फर्म/फर्म मालिक यदि पूर्व में केन्द्रीय सरकार/किसी भी राज्य सरकार अथवा इनके किसी विभाग/उपक्रम/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
23. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू नियमों की पालना करनी होगी।
24. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में निम्नांकित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

1. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर दूरभाष नं.-0141-2229500
ई-मेल- fa.rb.@rajasthan.gov.in
2. उप सचिव -द्वितीय, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर दूरभाष
नं.-0141-2228716- Ext. -283, Email. jChandra.joshi-rj@nic.in
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर दूरभाष
नं. 0141-2228716 ई-मेल-ao.rb@rajasthan.gov.in

(हरीश कुमार लालानी)
वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल सचिवालय

(हरीश कुमार लालानी)
वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल सचिवालय

(हरीश कुमार लालानी)
वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल सचिवालय

(हरीश कुमार लालानी)
वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल सचिवालय

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर
(बोली प्रपत्र क्वालीफाईंग बिड)

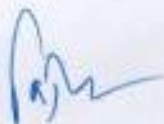
परिशिष्ट "अ"

घोषणा

बोली आमंत्रण क्रमांक:

दिनांक :-

- (I) राजभवन, जयपुर में 16 कम्प्यूटर, 04 प्रिंटर कय कार्य के लिए बोली
- (II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म :-
का नाम व डाक का पूर्ण पता :-
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर ईमेल सहित :-
- (III) बोली जिसे प्रस्तुत करनी है :- वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर ।
- (IV) सन्दर्भ :- बोली आमंत्रण संख्या:- दिनांक जो
(समाचार पत्र का नाम) दिनांक में प्रकाशित हुई है ।
- (V) बोली शुल्क :- राशि रुपये बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या
दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है ।
- (VI) प्रोसेसिंग फीस :-राशि रुपये डीडी नं. दि०
जमा करा दी है ।
- (VII) हम बोली आमंत्रण संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। परिशिष्ट "स" के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण-स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न हैं।
- (VIII) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित सप्लाय अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी ।
- (IX) हम सम्युष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित की गई दरें "प्राईस बिड" खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है ।


विजय सिंह
प्रोग्रामर


गिरिधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


सीकेएस
सहायक सचिव

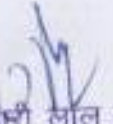

सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

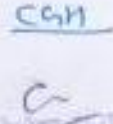
- (X) हम सम्पुष्टि करते हैं कि 'प्राईस बिड' में अंकित दरें समस्त कर सहित वा. OR राजभवन तक हैं ।
- (XI) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में बोली निरस्त योग्य है ।
- (XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

S.N.	Type of Certificate & Other informations	Yes/ No	Date of Issue/ Validity
1-	Whether Bid document fee is submitted with e-Bid. Provide details: Banker Cheque/ DD no..... dt..... Rs.		
2-	Whether Bid Security document submitted with e-Bid. provide details: DD/Banker Cheque/Challan receipt no..... dt..... amount Rs.		
3-	Whether processing fee document in favour of RISL is being submitted with e-Bid. Provide details: banker cheque/ DD. No. Date Rs.		
4-	Whether agreed with all Bid conditions		
5-	Whether annexure - A,B,C&D have been downloaded, signed and submitted with e-Bid		
6-	Whether Service tax/PAN (Parmanent Account number) Registration certificate is submitted with e-Bid		
7-	Whether experiance certificate enclosed with e-Bid.		
8-	Bankers certificate regarding running bank account, if bidder has submitted Bid for the first time		
9-	The required copy of audited financial statements are enclosed with e-bid		

- (XIII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है ।
- (XIV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई-बोली में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।


विजय सिंह
प्रोग्रामर


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


C. कुमार
सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान


सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

(XV) हम सम्मति करते हैं कि कम्प्यूटर्स एवं प्रिन्टर्स हेतु ई-बोली की मुख्य शर्तों की शर्त सं010 में अंकित Specifications को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा तदनुसार ही माल की आपूर्ति की जायेगी।

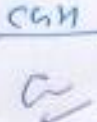
नोट :-

1. कम संख्या (XII) में अंकित संलग्नकों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes' or 'No' उसके जारी होने की तिथि / (Issuing date Validity date) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व बोलीदाता का है इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जायेगी।
2. बोली भरने की प्रक्रिया :-
 (ए) परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है। क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" एवं "द" तथा अनुलग्नक अ,ब,स में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट "द" एवं अनुलग्नक "ब" डाउनलोड करके उस पर हस्ताक्षर उपरान्त ई- बोली के साथ स्कैन करना होगा।
 (बी) परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड है उसे ई- बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
भय मोहर


विजय सिंह
प्रोद्योगिक


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


चंद्रशेखर
सहायक सचिव


सहायक सचिव
राजस्थान, राजस्थान

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

परिशिष्ट-“स”

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोट:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेंचसाईड पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रिया-** बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।
2. **विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्तें :-**

(अ) निर्माता द्वारा बोली :-

- (i) बोली आमंत्रण में अंकित आइटमों के लिए बोली, सम्बन्धित आइटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) या इनके निर्माता द्वारा नियुक्त प्राधिकृत डीलर/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग एजेंट/चैनल पार्टनर द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' में घोषणा पत्र भरकर स्कैन कर प्रस्तुत किया जावेगा व चाहे अनुसार लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।
- (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सदम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) राजस्थान में स्थापित लघु उद्योग ईकाई द्वारा बोली :-

- (i) लघु उद्योग ईकाई बोलीदाताओं के लिए लघु उद्योग ईकाई के रूप में, उद्योग विभाग, राजस्थान में, वैद्य पंजीकरण EM-II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। वैद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र में बोली आइटम का नाम, बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।
- (ii) राजस्थान प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रोफेरेन्स टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 (अधि सूचना दिनांक 19.11.15) के नियम 4 के तहत राज्य के स्थानीय उद्योगों में मूल्य एवं कय वरीयता प्रदान की जावेगी। इस हेतु नियम 10 के तहत इन उद्योगों के संबंधित जिला उद्योग केन्द्र से निर्धारित प्रारूप 'ए' में जारी (PPC) प्रमाण पत्र की प्रति ई-बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) उक्त अधिघोषणा दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 के तहत निर्धारित प्रपत्र 'ब' उत्पादन क्षमता का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (स) बोली आमंत्रण में अंकित आइटमों के लिए बोली, सम्बन्धित आइटम के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) या इनके निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग एजेंट आदि को निर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाएंगी।


विजय सिंह
प्रोग्रामर


गिरिश कुमार गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


रमेश कुमार
सहायक सचिव
राजस्थान


सहायक सचिव
राजस्थान

- बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' में घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत किया जावेगा।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
- (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. बिक्रीकर/वेट पंजीयन एवं बिक्रीकर/वेट शोधन प्रमाण-पत्र (Registration Clearance Certificate) :-
- (i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित बिक्रीकर/वेट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) राजस्थान स्थित फर्मों द्वारा वेट शोधन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। उक्त प्रमाण पत्र छः माह से पुराना नहीं होना चाहिए। राजस्थान राज्य से बाहर की फर्मों के मामले में उक्त प्रमाण पत्र में उसकी वैधता अंकित है तो वह स्वीकार की जावेगी अन्यथा वह छः माह से पुराना नहीं होना चाहिए। राजस्थान राज्य से बाहर जिन सरकारों द्वारा वेट शोधन प्रमाण पत्र जारी करना बन्द कर दिया गया है उसके संबंध में आमंत्रित निविदा के ठीक गत वर्ष/छमाही/तिमाही कर विवरणी की प्रमाणित प्रति एवं निविदा से ठीक पूर्व जमा कराये गये कर के चालान की प्रमाणित प्रति स्कैन कर प्रस्तुत की जावेगी। उक्त के अभाव में बोली निरस्त की जा सकेगी।
- (iii) यदि किसी वस्तु पर वेट लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की हैं तो उसमें वेट की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी। राजस्थान स्थित फर्मों द्वारा दर्शित/बताई गई वेट की दर से वेट काटकर सीधे ही राजकोष में जमा कराई जावेगी। इसी प्रकार यदि किसी फर्म ने राजस्थान राज्य स्थित किसी व्यापारी से माल खरीद कर विभाग को सामान सप्लाई किया गया है जिसमें फर्म द्वारा स्थानीय फर्म को वेट का भुगतान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल पर चुकाये गये वेट की राशि का उल्लेख करना होगा। विभाग द्वारा पूर्व में भुगतान की गई वेट की राशि को छोड़कर शेष वेट की राशि राजकोष में जमा कराई जावेगी।
5. बिक्रीकर/वेट पंजीयन प्रमाण पत्र में बोली वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।



 Vinay Singh

 विजय सिंह
 प्रोचानर



 गिरधारी मल गुप्ता
 वरिष्ठ लेखाधिकारी



 Tejendra Kumar
 सहायक सचिव



 सहायक सचिव
 राज्यपाल, राजभवन

नोट:- जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र में बोली वस्तु या वस्तुओं के गुण का नाम अंकित होना चाहिए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट हो कि वह बोली वस्तु में व्यापार/व्यवहार करता है।

6. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट-‘द’ एवं अनुलग्नक ‘ब’ डाऊन लोड करने के बाद अपने हस्ताक्षर उपरान्त ई- बोली के साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट ‘द’ एवं अनुलग्नक ‘ब’ स्कैन करके प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।
7. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सफाई करने या आंशिक सफाई करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा।

1 दर :-

- (i) बोली में दरें शब्दों एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- (ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तर दायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-

प (क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उल्लेखित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

इ (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

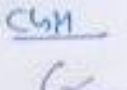
व (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।

प (ग) ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

- (iii) बोली में दरें एक्साईज ड्यूटी सहित ही अंकित की जावे। लेकिन एक्साईज ड्यूटी की दरें भी पृथक् से अंकित की जावे। एक्साईज ड्यूटी में कालान्तर में हुई कमी एवं वृद्धि होने पर उसके अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- (iv) बोली में दर अंकित करते समय **GST** अलग से अंकित की जावे व **GST** की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे “टैक्स पैड” “कर सहित” “एज एप्लीकेबल” का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करे एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा **GST** में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- (v) बोली में दर अंकित करते समय चुगीकर (यदि कोई हो तो) अलग से अंकित की जावे तथा चुगीकर की राशि या प्रतिशत भी अंकित किया जावे।


विजय सिंह
प्रोग्रामर


गिरधारी माल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


छोटा कुमार राजत
अधीक्षक

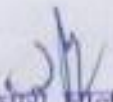

सहायक समिक
राज्यपाल, राजस्थान

- (vi) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे
- (vii) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।
- (viii) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।
- (ix) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होंगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।
- (x) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (xi) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (xii) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

9. दरों की तुलना:-

- (i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 66 के अनुसार राजस्थान के बाहर स्थित फर्म एवं राजस्थान में स्थित फर्म द्वारा दी गई दरों की तुलना के समय राजस्थान की फर्मों द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में राजस्थान वेट को दरों में शामिल नहीं किया जावेगा जबकि राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रीकर को शामिल किया जाएगा।
- (ii) राजस्थान प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेंस टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 (अधिसूचना दिनांक 19.11.2015) के नियम 4 के तहत राज्य के स्थानीय उद्यमों को मूल्य एवं कय वरीयता प्रदान की जावेगी। इस हेतु नियम 10 के तहत सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र से जारी निर्धारित प्रपत्र 'ए' में पीपीसी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत मूल्य एवं कय वरीयता दी जावेगी।
- (iii) राजस्थान प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेंस टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 (अधिसूचना दिनांक 19.11.2015) के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और बोली मूल्य राजस्थान के उद्योगों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्योगों को ऐसे स्थानीय डीलर पर कय अधिमान दिया जावेगा।


विजय सिंह
प्रोग्रामर


मिथारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


S. G. N.
सहायक निदेशक राजस्व
कलकत्ता


सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

- (iv) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी।

10. बातचीत (Negotiation) :-

- (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं किया जावेगा, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

- (ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्त न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

11. बोली की विधि मान्यता:-

दरों की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

- 12 अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेशिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

13. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।

14 स्पेशिफिकेशन:-

- (i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशिष्ट में निर्धारित स्पेशिफिकेशन/ट्रेडमार्क/सैम्पल के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामले में जहाँ कोई स्टैंडर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेशिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाय की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेशिफिकेशन के संबंध में वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

- (ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के कय आदेश में निर्धारित सप्लाय अवधि में ही देना होगा।

5/5/2021
विजय सिंह
प्रोग्रामर

गिरधारी कौल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

CCM
लेडीश कुमार राजस
कन्ट्रोलर
राज्यपाल, राजभवन

सहायक सचिव
राज्यपाल, राजभवन

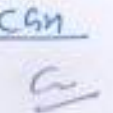
- (iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिन के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात् बोलीदाताओं द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

15. निरीक्षण एवं परीक्षण :-

- (i) (A) वित्तीय सलाहकार राजस्वपाल सचिवालय या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेंगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात् जैसा भी निश्चित किया जाएगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेंगा।
- (B) राजस्थान प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेंस टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 (अधिसूचना दिनांक 19.11.2015) के अनुसार राजस्थान की लघु उद्योग ईकाई की क्षमता हेतु उत्पादन ईकाई का राज्य सरकार के आदेश सप्लायर आदेश से पूर्व निरीक्षण विभागीय निरीक्षण कमेटी द्वारा सुनिश्चित कर किया जावेगा।
- (ii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लायर होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियों के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (iii) सप्लायर प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
- (iv) परीक्षण प्रभार :- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जावेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लायर किया गया सामान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।
- (v) निरीक्षण प्रभार:- विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
- (vi) रद्द करना (Rejection):- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा कय आदेश में निर्धारित सप्लायर अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।
- (vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय कय समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को


विजय सिंह
प्रोग्रामर


गिरिश कुमार गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


गिरिश कुमार गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


गिरिश कुमार गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

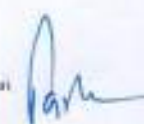
- (viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

17. माल की सप्लाई :-

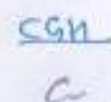
- बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
 - यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।
 - बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR राजमवन जयपुर मुख्यालय भेजा जाएगा।
18. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

19. सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)

- जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।
- फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण कय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।
- निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इन्स्टालेशन किया जाना है वहाँ प्रकरण के गुणावगुण के


विजय सिंह
प्रोग्रामर


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


शोभित कुमार राउत
अधीक्षक
सहायक सचिव


सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था सप्लाई अवधि आगे भी बढ़ा सकेगी।

20. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)

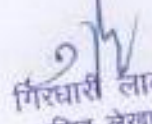
- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावों या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी अनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेंगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।
- (iii) पुनरादेश अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद पुनरादेश के लिए ऐसे प्रदायगी आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

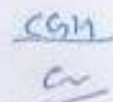
21. संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन :- सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जायेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी कम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

22. बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :-

- (i) राजस्थान की लघु एवं कोटेज इकाई के अलावा अन्य बोलीदाताओं द्वारा बोली के साथ बोली सूचना में अंकित मात्रा अनुसार निर्धारित रूप में बोली प्रतिभूति जमा करवाई जायेगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली संक्षिप्त कार्यवाही के बाद निरस्त कर दी जायेगी।
- (ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य


विजय सिंह
प्रोग्रामर


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

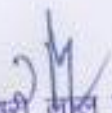

शिकहा कुमार राउल
कर्मचारी
राजस्थान सरकार

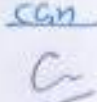

सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।

- (iii) राजस्थान की लघु एवं कोटेज इकाई द्वारा उन आईटम के लिए जिनके लिए वे निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान द्वारा लघु एवं कोटेज इकाई के रूप में पंजीकृत है, बोली सूचना में अंकित अनुमानित लागत राशि का 0.5% एवं लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है उन मामलों बोली सूचना में अंकित अनुमानित लागत का 1% बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी तथा बोली के साथ लघु एवं कोटेज इकाई के रूप में निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान, द्वारा जारी विधिवत अनुप्रमाणित वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं EM-II अभिस्वीकृति का उद्योग आधार व राज्य सरकार की अधिघोषणा दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ब' में उत्पादन क्षमता का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति में छूट दी जावेगी। रुग्ण ईकाईयों के लिए भी समुचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसी स्थिति में यदि फर्म द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है और बोली प्रतिभूति लघु उद्योग ईकाई के रूप में जमा कराई है तो बोलीदाता की बोली सक्षिप्त कार्यवाही के बाद निरस्त कर दी जावेगी।
- (iv) बोली आमंत्रण में अंकित प्रत्येक आईटम हेतु अलग से घरोहर राशि वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जाएगी—
- (अ) नकद— शीर्ष "8443" सिविल निष्प- 103- प्रतिभूति निष्प" के अन्तर्गत टेंजरी चालान से जमा कराई जा सकती है। या
- (ब) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के द्वारा जमा कराई जावेगी।
- (स) बोली प्रतिभूति अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जावेगी।
- (v) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय (Refund of Bid security):- असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, ई-बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाएगी।
- (vi) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।
- (vii) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।
- (viii) बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):- बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाएगा :-


विजय सिंह
प्रोग्रामर


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


अनिल कुमार
सहायक सचिव
राजस्थान सरकार


सहायक सचिव
राजस्थान सरकार

- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है ।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है ।
- (ग) जब बोलीदाता इ-बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्ताई अवधि में सप्ताई प्रारम्भ नहीं करता।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

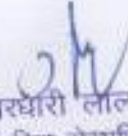
23. करार एवं सुरक्षा राशि (Agreement and Performance Security) :-

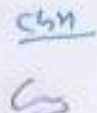
- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबन्ध करार के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया जावेगा । करार पत्र निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है। नमूना करार पत्र संलग्न है।
- (ब) बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नांकितानुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा:-

1. राशि रुपये 10.00 लाख तक	रुपये 500/-
2. राशि रुपये 10.00 लाख से अधिक किन्तु 50.00 लाख तक	रुपये 1000/-
3. राशि रुपये 50.00 लाख से अधिक	रुपये 5000/-

- (स) करार पत्र के साथ जिस सामान के लिए बोली स्वीकार की गई है, उसके लिए निम्नांकितानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निर्धारित रूप में जमा करानी होगी:-
- (i) कार्य सम्पादन प्रतिभूति:-कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्थथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
- (ii) यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान से लघु एवं कोटेज उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत है एवं बोली लघु उद्योग इकाई के रूप में प्रस्तुत की गई है तो उस आईटम के लागत मूल्य के 1% के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी ।


विजय सिंह
प्रोद्योग


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

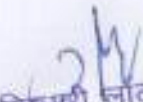

चन्दन कुमार
सहायक सचिव


सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

- (iii) लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य के 2% के बराबर होगी।
- (iv) लघु एवं कोटेज उद्योग के अलावा अन्य सफल बोलीदाता को उस आइटम के लागत मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
- (v) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
- (vi) सुरक्षा राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (vii) सुरक्षा राशि वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी—
- (क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक,
- (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्किप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
- (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियों। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
- (ङ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged)की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।
- (च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी वाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त सविदांत वाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

04/08/2021


विजय सिंह
प्रोचानर


मिहिर लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


लोकेश कुमार
सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान


राजेंद्र सिंह
सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

नोट:- अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(viii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा ।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में कय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(ix) बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Bid Security Deposit):- सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जाएगा:-

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो ।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । बोली प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा ।

(ix) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा बोली प्रतिभूति राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

(x) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे:-

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष ।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर ।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्टार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र

(xi) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में इ-बोली एवं अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये ।

24. बीमा—

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे । यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

25. भुगतान—

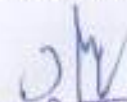
- (i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गये माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा ।
- (ii) माल के भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेंगे ।
- (iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।
- (iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगे ।
- (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।
- (vi) **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) —**

परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है—

- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5%
- (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक - 5%
- किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए
- (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु - 7.5%
- विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए-10%
- (ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा ।
- (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।

02/04/2011


विजय सिंह
प्रोत्साहर


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


राजेंद्र कुमार
सहायक राज्यपाल, राजस्थान

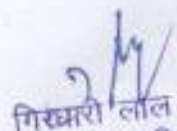

राजेंद्र कुमार
सहायक राज्यपाल, राजस्थान

- (छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (ज) यदि माल की सप्लाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो शुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

26. **वसूलियाँ**—परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाय, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाय, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Due) एवं विभाग के पास उपलब्ध बोली प्रतिभूति राशि से की जावेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
27. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
28. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।
29. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
30. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
31. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
32. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही हैं वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।


विजय सिंह
प्रदायक


गिरिश लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी



राजेश कुमार राउल
कन्ट्रोलर
सप्लायर मैनेजमेंट


सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

33. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।
34. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

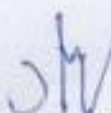
(हरीश कुमार लालवानी)
 वित्तीय सहायक
 राज्यपाल सचिवालय

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तों के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
 (बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के
 प्रमाण-स्वरूप)

20/08/2017


 विजय सिंह
 प्रोग्रामर


 गिरधारी लाल गुप्ता
 वरिष्ठ लेखाधिकारी


 ज्योति कुमार
 राज्यपाल सचिवालय


 सहायक सचिव
 राज्यपाल, राजस्थान

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

परिशिष्ट "द"

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेंट/प्राधिकृत डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ,ब,स एवं नमूना करार पत्र तथा बोली आमंत्रण को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उन्हें अक्षरक्षः स्वीकार करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर


विजय सिंह
प्रोग्रामर

11/08/2017


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी



श्रीकंठ कुमार राय
सहायक सचिव


राजेश कुमार
सहायक सचिव

अनुलग्नक 'अ'

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

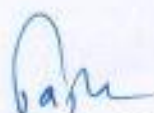
Conflict of Interest :-

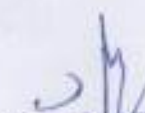
The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

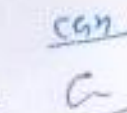
A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature


विजय सिंह
प्रोग्रामर


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

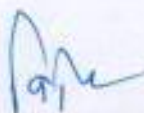
Place :

Name :

Designation :

Address :

स्थानीय


विजय सिंह
 प्रोग्रामर


गिरधारी लाल गुप्ता
 वरिष्ठ लेखाधिकारी


लोकेश कुमार
 सहायक सचिव
 राज्यपाल, राजस्थान

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.**(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.****(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

विजय सिंह
प्रोग्रामर

गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

सहायक सचिव
सहसंचालक, राजस्व
मन्त्रालय, राजस्थान

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature


 अनिल सिंह
 प्रोप्रायटर


 गिरधारी लाल गुप्ता
 वरिष्ठ लेखाधिकारी

CSM


 शोबेन्द्र कुमार
 सहायक सचिव
 राज्यपाल, राजस्थान


 सहायक सचिव
 राज्यपाल, राजस्थान

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in

Which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally Specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed two's percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier Fails to do so, Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

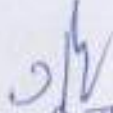
3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature


विनाय सिंह
प्रोग्रामर

CSH


गिरधारी लाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


राजेंद्र कुमार
सहायक सचिव
संयोजक, राजस्थान

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

(i) Name of the appellant :

(ii) Official address, if any :

(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :.....

.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :.....

.....

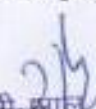
.....

Place

Date

Appellant's Signature


विजय सिंह
प्रोग्रामर


लेखिका देवी गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


कन्दोलर
लोकेश गुप्ता सहायक
कन्दोलर
राजस्थान


सहायक सचिव
सहायक सचिव
राजस्थान

नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक माह सन् 2017 को एक पक्ष के
..... (जिसे इसमें आगे "अनुमोदित प्रदायकर्ता" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।
2. अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम संलग्न में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
3. अनुमोदित प्रदायकर्ता ने राशि रुपये की राशि
.....
 1. "ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा";
 2. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक;
 3. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि यह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।
 4. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।
 5. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समग्रहरण की दशा में नियत

विजय सिंह
प्रोग्रामर

गिरधारी जाल गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी

CCN

सोरेन कुमार रावल
फोटो

सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपद्धत कर ली जायेगी।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:

(1.) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता और उसके आदेश में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा।

(2.) निविदा सूचना संख्या दिनांक से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।

(3.) निविदादाता से प्राप्त पत्र संख्या दिनांक तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।

(4.) (क) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त वस्तुओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार के माध्यम से अनुमोदित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी।

4. (ख) भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम से की विधि होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण है:-

i. बैंक का नाम एवं पता :-

ii. बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा हो) :-

iii. बैंक खाता संख्या :-

iv. बैंक IFSC कोड नं :-

5. माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी:-

क्रम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि
-------------	----------------	----------------

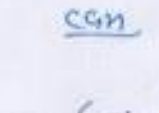
6. (1) (i) यदि शास्ति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो प्रदाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%


विजय सिंह
प्रोडामर


निशान्त सिंह गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी


अनंद कुमार
सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान


सहायक सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%
 (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणी: (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी।

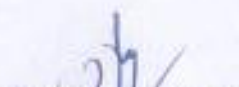
7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

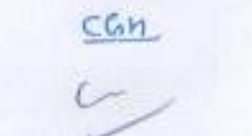
8. अनुबन्ध की अवधि आदेश जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी तथा परस्पर सहमति अनुसार से उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।

इसके साक्ष्य में इससे पक्षकारों ने आज दिनांक सन् 2018 को अपने हस्ताक्षर किए।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर / पदनाम	अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर
--	-----------------------------------


 विजय सिंह
 प्रो. 2018


 गिरधारी प्रसाद गुप्ता
 वरिष्ठ लेखाधिकारी


 लोकेश कुमार
 सहायक राज्यपाल


 राजेंद्र कुमार
 सहायक राज्यपाल

राज्यपाल सचिवालय
राज भवन, जयपुर

चैक लिस्ट

प्रस्तुत निविदाओ के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र
स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित कर सलंग्न किये जावें।

- (1) निविदादाता की ओर से दिये जाने वाला पत्र (निविदा प्रपत्र) ।
- (2) निविदा की शर्तें ।
- (3) आपूर्ति/कार्य/सेवा की दरों की सूची ।
- (4) अमानत राशि जमा कराने की रसीद/बैंकर्स चैक/डी.डी./चालान
- (5) माल एवं सेवाकर (GST) पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
- (6) आयकर स्थाई खाता सं.(PAN) की प्रति
- (7) करार पत्र
- (8) निविदादाता की घोषणा
- (9) Annexure A- Conflict of Interest.
- (10) Annexure B- Declaration by the Bidder.
- (11) Annexure C- Grievance Redressal during Procurement Process.
- (12) Annexure D- Additional conditions of contract.

नोट:- (1) प्रपत्रों में चाही गई सूचनाएं/जानकारी अपूर्ण होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।
(2) प्रत्येक प्रलेख पृष्ठ पर निविदादाता के द्वारा हस्ताक्षर किये जावे।
(3) निविदा में अंकित की गई दरों में कोई ओवरसाइटिंग नहीं की जावे। यदि कोई संशोधन किया गया है तो पृथक से अंकित कर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिये।


विजय सिंह
प्रोग्रामर
098888


गिरिश कुमार गुप्ता
वरिष्ठ लेखाधिकारी



सोमेश कुमार सहस्र
कन्स्ट्रक्शन
ऑफिसर, राजभवन


सहायक सचिव
राज्यपाल, राजभवन

परिशिष्ट - ब (प्राईज बिड)

Tender Inviting Authority : Financial Advisor, Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Jaipur

Name of Work : Purchases of 16 computers & 4 Printers in Raj Bhawan, Jaipur.

Contract No.

Name of the Bidder/Bidding Firm/ Company :		PRICE SCHEDULE			
{ This BOQ template must not be modified/ replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender, Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values Only}		NUMBER	TEXT	NUMBER	TEXT
		Sl. No	Item Description	Rate per Unit in Figures Exclusive of All Taxes (Amount in Rs.)	Rate per Unit in Words Exclusive of All Taxes (Amount in Rupees)
1	2			3	4
1.01	Computer system Core i-5,				5
1.02	Multi-Function Laser Printer				16 X
1.03	Multi-Function Color Printer				3 X
					1 X

Note:- Taxes as applicable, should be shown separately.






(Rajya/Prd)
 27/05/24

Latter tender